न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ,सांचौर, जिला–जालोर

पीठासीन अधिकारी प्रमोद कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 01 / 2017 **जीसीएमएस अपील संख्या 2017 / 00024**

अपीलान्ट्स

स्वर्गीय तगुदेवी पुत्री नानजीड़ा के कायम।

1. पुनमा भाई पुत्र मदाभाई।
2. भगा भाई पुत्र मदाभाई।
3. शंकरभाई पुत्र मदाभाई जातियान मेघवाल निवासीगण नानुड़ा तहसील धानेरा, गुजरात
4. मणी बेन पुत्री मदाभाई जाति मेघवाल निवासी सांकड़ तहसील सांचौर जिला जालोर।

रेस्पोडेण्ट्स

1. हंजारीराम पुत्र मेठाराम, आयु–वर्ष, कौम– मेगवाल, निवासी – कारोला
2. प्रभूराम पुत्र मेठाराम, आयु वर्ष, कौम– मेगवाल, निवासी –कारोला, तहसील– सांचौर, जिला– जालोर।
3. तहसीलदार (भूमिधारी), सांचौर, जिला–जालोर।
4. सरपंच, ग्राम पंचायत कारोला तह. साचोर।

नामांन्तरकरण अपील बनाराजगी म्युटेशन संख्या 91, तारीख 17.05.2021 ग्राम पंचायत कारोला, अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम

उपस्थितिः–

1. अपीलान्ट्स अधिवक्ता श्री इब्राहीम शाह।
2. रेस्पोडेन्ट्स संख्या 1 व 2 की ओर से अधिवक्ता श्री जालाराम पूनिया।
3. रेस्पोडेन्ट्स संख्या 3 व 4 एकपक्षीय।

–:निर्णयः–

दिनांकः– 30.01.2026

1. अपीलांट्स द्वारा जरिये अधिवक्ता उपस्थित होकर अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 पेश की जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट तगुदेवी पुत्री नानजीडा वल्द अमरा जाति मेघवाल निवासी कारोला, तहसील सांचौर, जिला जालोर है। अपीलांट की माता स्व. लवंगा बैवा नानजीडा के नाम मौजा कारोला में खसरा संख्या 2252 रकबा 2.30 हैक्टेयर, खसरा संख्या 2253 रकबा 0.01 हैक्टेयर

उपखण्ड अधिकारी
सांचौर (जालौर)

एवं खसरा संख्या 2254 रकबा 2.12 हैक्टेयर, कुल रकबा 4.43 हैक्टेयर खातेदारी भूमि दर्ज थी, जिसमें 1/2 हिस्सा स्व. लवंगा बैवा का तथा 1/2 हिस्सा मिठिया वल्द अमरा का था। संबंधित पुरानी एवं नवीन जमाबंदी की नकलें संलग्न हैं। स्व. लवंगा बैवा के निधन के पश्चात उनके हिस्से की भूमि का नामान्तरण अपीलांट के नाम होना आवश्यक था, परंतु रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 ने मृतका के कोई उत्तराधिकारी नहीं होने का गलत तथ्य प्रस्तुत कर आपसी मिलीभगत से नामान्तरण संख्या 91 दिनांक 17.05.2001 अपने नाम स्वीकृत करवा लिया, जो पूर्णतः अवैध व विधि विरुद्ध है। अपीलांट स्व. लवंगा बैवा की वैध पुत्री एवं उत्तराधिकारी है तथा वादग्रस्त भूमि के 1/2 हिस्से पर अपीलांट का पूर्ण कानूनी अधिकार है। ग्राम पंचायत कारोला द्वारा न तो अपीलांट की उत्तराधिकार संबंधी जांच की गई और न ही कोई नोटिस दिया गया, बल्कि विधि विरुद्ध ढंग से नामान्तरण पारित कर दिया गया, जिसे निरस्त किया जाना न्यायोचित है। अतः उक्त अवैध नामान्तरण को अपास्त कर स्व. लवंगा बैवा के हिस्से की भूमि का नामान्तरण अपीलांट के नाम स्वीकृत कर राजस्व अभिलेखों में आवश्यक दुरुस्ती किए जाने हेतु यह अपील प्रस्तुत है। नामान्तरण की जानकारी अपीलांट को हाल ही में प्राप्त होने से यह अपील नियत अवधि में प्रस्तुत है। अतः अपील प्रस्तुत कर माननीय महोदयजी से निवेदन है कि नामान्तरकरण संख्या—91, दिनांक—17.05.2001 ग्राम पंचायत—कारोला द्वारा विधिविरूद्ध ढंग से रेस्पोडेन्ट्स संख्या—1 ता 2 के नाम से स्वीकृत करने से उसे अपास्त किया जाकर मुझ अपीलांट के नाम से नामान्तरकरण स्वीकृत करने का आदेश प्रदान करावें।

2. अपीलाण्ट की अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेण्टस को सम्मन जारी किये गए। रेस्पोडेण्ड्स संख्या 1 व 2 की ओर से अधिवक्ता श्री जालाराम पुनिया उपस्थित। रेस्पोडेन्ट्स संख्या 3 व 4 की ओर से कोई उपस्थित नहीं होने से इनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल लाई गई।

3. रेस्पोडेण्टस संख्या 1 व 2 की ओर से पेश जवाब के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलाधीन/वादग्रस्त आराजी ग्राम कारोला के नवसृजित ग्राम जीवा का गोलिया, पटवार क्षैत्र कारोला में स्थित खसरा नं. 2252 रकबा 2.30 हेक्टेयर, खसरा नं. 2253 रकबा 0.01 हेक्टेयर (गैर मुमकिन बैरा), खसरा नं. 2254 रकबा 2.12 हेक्टेयर, कुल रकबा 4.43 हैक्टेयर की खातेदारी एवं मालिकाना भूमि रेस्पोडेन्ट्स की है। लवंगा के दिनांक 01.08.2000 को देहावसान पश्चात् नामान्तरण सं. 91 विधिवत जांच उपरान्त दिनांक 17.05.2001 को ग्राम पंचायत कारोला द्वारा स्वीकृत होकर रेस्पोडेन्ट्स के नाम खातेदारी अमल दरामद हुई, जो आज तक सही व वैध है। अपीलान्ट का उक्त भूमि में

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सांचौर जिला जालोर सत्यमेव जयते

उपखण्ड अधिकारी
सांचौर (जालौर)

कोई हक–हकूक नहीं है तथा भूमि का लगान भी निरन्तर रेस्पोडेन्ट्स द्वारा अदा किया जा रहा है। अपीलान्ट की माता लवंगा द्वारा हंजारी पुत्र मेठाराम को अपने जीवनकाल में सामाजिक रीति–रिवाज अनुसार गोद लिया गया था। गोद लिए जाने के पश्चात् हंजारी ने गोदपुत्र की हैसियत से लवंगा की सेवा–चाकरी की तथा मृत्यु उपरान्त समस्त सामाजिक व धार्मिक क्रियाक्रम सम्पन्न किए। इसका प्रमाण फोटोचित्र व दस्तावेजों से है। अपीलान्ट द्वारा स्वयं दिनांक 18.10.2000 को ₹100 के स्टाम्प पर लिखित ईकरारनामा देकर यह स्वीकार किया गया कि लवंगा ने वंशवृद्धि हेतु हंजारी को गोद लिया है तथा वादग्रस्त भूमि का नामान्तरण हंजारी के नाम दर्ज किया जाए। उक्त ईकरारनामा के आधार पर विधिवत नामान्तरण स्वीकृत हुआ। अतः अपीलान्ट साक्ष्य अधिनियम की धारा 115 के तहत विबंधित है तथा अपील प्रस्तुत करने का कानूनी अधिकार नहीं रखता। रेस्पोडेन्ट्स का वादग्रस्त भूमि पर कदीमी, शांतिपूर्ण एवं निरन्तर कब्जा–काश्त है। मौके पर रेस्पोडेन्ट्स की रहवासी ढाणी, कुआं एवं उनके नाम विद्युत कनेक्शन विद्यमान है, जिसके बिल संलग्न हैं। नामान्तरण प्रक्रिया हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तावित होकर भू–निरीक्षक की जांच पश्चात् ग्राम पंचायत द्वारा विधिवत स्वीकृत की गई, जिसमें कोई अवैधानिकता या प्रक्रियात्मक त्रुटि नहीं है। अपीलान्ट द्वारा लगभग 18 वर्ष पश्चात् म्याद से बाहर अपील प्रस्तुत की गई है, जिसका कोई संतोषजनक कारण या ठोस साक्ष्य नहीं है। माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय प्रकाश एवं अन्य बनाम फूलवन्ती एवं अन्य, सिविल अपील सं. 7217/2013, निर्णय दिनांक 16.10.2015 के अनुसार भी अपीलान्ट किसी प्रकार का कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं करता। अतः अपील आधारहीन, मनगढ़ंत, म्याद बाहर एवं कानूनन अपोषणीय होने से, तथा अपीलान्ट के विरुद्ध विबंध का सिद्धान्त लागू होने से, अपील मय खर्चा खारिज किए जाने योग्य है।

4. अपीलान्ट्स के विद्वान अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अपीलान्ट तगुदेवी पुत्री नानजीड़ा वल्द अमरा सा. कारोला की जायन्दा पुत्री है तथा अपीलान्ट की माता लवंगा बैवा नानजीड़ा सा. कारोला के नाम खातेदारी आराजी वाके सरहद मौजा कारोला में खेत खसरा संख्या 2252 रकबा 2.30 हैक्टेयर, खसरा संख्या 2253 रकबा 0.01 हैक्टेयर, खसरा संख्या 2254 रकबा 2.12 हैक्टेयर जुमले रकबा जुमले रकबा 4.43 हैक्टेयर स्थित है उक्त भूमि में 1/2 हिस्सा अपीलान्ट की माता लंवंगा बैवा नानजीड़ा का था तथा 1/2 हिस्सा मिठिया वल्द अमरा का था। लंवंगा के फौत होने पर उसके बंट की भूमि में लंवंगा के उत्तराधिकारी अपीलान्ट तगुदेवी के नाम से नामान्तरकरण स्वीकृत किया जाना था मगर रेस्पोडेण्ट

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सांचौर जिला जालोर

उपखण्ड अधिकारी
सांचौर (जालौर)

संख्या 1 लगायत 2 ने राजस्व अधिकारीयों / कर्मचारियों से मिलावट कर मृतका लंवंगा के पीछे कोई उत्तराधिकारी नहीं होना बताकर रेस्पोडेण्ट संख्या 1 व 2 ने लंवंगा के हिस्से की भूमि हड़प करने की नियत से रेस्पोडेण्ट संख्या 1 व 2 ने बाले–बाले अपने नाम से नामान्तरकरण संख्या 91 दिनांक 17.05.2021 को अपने नाम से खुलवाकर ग्राम पंचायत कारोला से स्वीकृत करवा दिया जो गलत एवं विधि–विरूद्ध है चुंकि अपीलाण्ट मृतका लंवंगा बैवा नानजीड़ा की पुत्री उत्तराधिकारी है तथा मृतका लंवंगा के फौत होने पर उसके स्थान पर अपीलान्ट के नाम से नामान्तरकरण खोला जाना था मगर रेस्पोडेण्ट संख्या 1 व 2 ने अपने नाम से नामान्तरकरण खुलावा दिया जो खारिज योग्य है। अतः माननीय न्यायालय से निवेदन है कि नामान्तरकरण संख्या 91 दिनांक 17.05.2001 ग्राम पंचायत कारोला द्वारा विधि–विरूद्ध ढंग से रेस्पोडेण्ट संख्या 1 व 2 के नाम से स्वीकृत करने से उसे अपास्त किया जाकर अपीलाण्ट के कायम मुकाम वारिशान् उत्तराधिकार के नाम से नामान्तरकरण स्वीकृत करने का आदेश फरमावें।

5. अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट संख्या 1 व 2 के विद्वान अधिवक्ता अपनी बहस में निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी ग्राम कारोला के नवसृजित ग्राम जीवा का गोलिया के खसरा संख्या 2252, 2253, 2254 जुमले रकबा 4.43 हैक्टेयर रेस्पोडेण्ट्स की खातेदारी मालिकाना की स्थित व जिसमें लवंगा के फौत होने पर रेस्पोडेण्ट्स के नाम बाद जांच कब्जा काश्त नामान्तरकरण संख्या 91 विधिवत् सही व सत्य से स्वीकृत होकर खातेदारी अमलदरामद हुई जिसमें अपीलान्ट का कोई हक हकुक नहीं है अपीलान्ट की माता लंवंगा ने हंजारी पुत्र मेठाराम के सामाजिक–रीति रिवाज अनुसार अपने जीवनकाल में गोद ग्रहण कर लिया था, तब से हंजारी गोद पुत्र की हैसियत से लंवगा के साथ रहा तथा सेवा की । अपीलान्ट पर विबंध का सिद्धान्त लागु होने से अपील विधि द्वारा पोषणीय नहीं होने से खारिज योग्य है। वादग्रस्त भूमि पर कब्जा काश्त रेस्पोडेण्ट्स का लगातार सहज शांतिपूर्ण रूप से कदीमी से चला आ रहा है मौके पर रेस्पोडेण्ट्स की रहवासीय ढाणी, कुआ स्थित है जिसमें विधुत कनेक्शन भी रेस्पोडेण्ट के नाम से है। उक्त नामान्तरकरण की जानकारी अपीलान्ट को भली–भॉति थी उसके बावजूद भी करीबन 18 वर्ष बाद अपील पेश की है जो निर्धारित तीस दिन की म्याद अवधि में पेश नहीं किये जाने से व अपीलान्ट द्वारा दिन–व–दिन अपील पेश करने का संतोषजनक पुख्ता कारण व दस्तावेजी सबूत के साथ पेश नहीं किये जाने से रेस्पोडेण्ट द्वारा प्रस्तुत नामान्तरकरण की जानकारी 18 वर्ष पूर्व ही अपीलान्ट तगु को होने से तथा कोई दस्तावेजी सबुत पेश नहीं किये जाने से अपील म्याद बाहर होने से खारिज

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सांचौर जिला जालोर

उपखण्ड अधिकारी
सांचौर (जालौर)

योग्य है। अतः माननीय न्यायालय से निवेदन है कि अपीलान्ट की अपील म्याद बाहर होने, आधारहीन, मनगढ़त बनावटी होने तथा अपीलाण्ट द्वारा विवादित आराजी का नामान्तरकरण भरने की सहमति देने व हकतर्क करने का ईकरारनामा देने से अपील खारिज फरमावें।

6. हमने अपीलाण्ट व रेस्पोडेण्ट संख्या 1 व 2 के विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गई। अपीलार्थीया द्वारा प्रस्तुत अपील एवं उसके साथ प्रस्तुत दस्तावेज का भली– भांति अवलोकन किया। हस्तगत अपील ग्राम कारोला के नामान्तरकरण संख्या 91 जो ग्राम पंचायत कारोला द्वारा पारित आदेश दिनांक 17.05.2001 के विरूद्ध प्रस्तुत कर अपीलार्थीया ने निवेदन किया है कि वादग्रस्त आराजी के लंवंगा बैवा नानजीड़ा के 1/2 हिस्से की भूमि पर अपीलार्थीया का बतौर लवंगा की पुत्री उत्तराधिकारी होने से कानूनी हक हिस्सा है तथा साथ में धारा 5 भारतीय म्याद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर दिनांक 30.12.2016 को राजस्व रेकर्ड की नकलें पर उक्त नामान्तरकरण की जानकारी होने पर उक्त प्रकरण दिनांक 20.01.2017 को पेश किया गया। जबकि रेस्पोडेण्ट संख्या 1 व 2 ने अपने जवाब के साथ इकरारनामा की फोटो प्रति पेश की जिसका अवलोकन किया गया कि उक्त इकरारनामा दिनांक 18.10.2000 को अपीलार्थीया द्वारा लिखा गया होना बताया है तथा उक्त इकरारनामे में अपीलार्थीया तगु ने रेस्पोडेण्ट संख्या 1 हंजारी के पक्ष में लिखकर कथन किया है कि मेरे पिता नानजी के पुत्र नहीं था आपको वंशवृद्धि हेतु गोद लिया था मेरे पिता नानजी व मां लंवंगा का देहान्त हो गया है। मैं मृतवफी लंवंगा की जायन्दा पुत्री हुं मगर मैं स्वैच्छा से मेरा उत्तराधिकारी अधिकार का आपके पक्ष में तर्क करती हूं तथा मेरे पिता व बाद में मेरी माता के नाम तमाम जमीन चल व अचल सम्पति आपकी होगी तथा खातेदारी जमीन का नामान्तरकरण आप अपने नाम से करवा सकेंगे मुझे किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है। इस प्रकार अपीलार्थीया तगु द्वारा उक्त ईकरारनामा दिनांक 18.10.2000 को खरीदना बताकर रेस्पोडेण्ट संख्या 1 के पक्ष में अपना हकतर्क करना स्वीकार कर उक्त वादग्रस्त आराजी में कोई हक अधिकार नहीं होना जाहिर किया है। अपीलार्थीया ने उक्त इकरारनामे के लिखी ईबारत के खण्डन में न तो कोई शपथ–पत्र पेश किया है तथा न ही कोई साक्ष्य सबूत पेश किया है जिससे यह साबित हो सके कि उक्त इकरारनामा अपीलार्थीया द्वारा नहीं लिखा गया है। इस प्रकार अपीलार्थीया साक्ष्य अधिनियम की धारा 75 के तहत रओरल्ढ है। तथा उक्त ईकरारनामा से यह भी स्पष्ट है कि दिनांक 18.10.2000 को अपीलार्थीया को अपनी माता लंवंगा की मृत्यु की जानकारी भली–भांति थी क्योकि उक्त नामान्तरकरण के कॉलम संख्या 15 व 16 में

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सांचौर जिला जालोर

उपखण्ड अधिकारी
सांचौर (जालौर)

लंवंगा की मुत्यु दिनांक 18.10.2000 को होना बताया है इस प्रकार अपीलार्थीया ने अपील के साथ धारा 5 भारतीय म्याद अधिनियम के प्रार्थना–पत्र में दिनांक 30.12.2016 को उक्त नामान्तरकरण की जानकारी होने बाबत् कोई पर्याप्त एवं संतोषजनक कारण उजागर नहीं किये है चुंकि अपीलार्थीया द्वारा परिसीमा के भीतर अपील दायर नहीं करना लापरवाही है जिसके कारण अन्य पक्षकार को उसके अधिकारों से वंचित करना उचित नहीं। परिसीमा अधिनियम की धारा 5 का परिलाभ देने से पूर्व न्यायालय को पक्षकार द्वारा स्पष्ट किये गये विलम्ब के कारणों का समाधान दर्ज करना आवश्यक है, जबकि अपीलार्थीया द्वारा न तो अपील में तथा न ही धारा 5 भारतीय म्याद अधिनियम के प्रार्थना –पत्र में म्याद माफी के संबंध में कोई पर्याप्त एवं संतोषजनक कारण प्रस्तुत नहीं किया है तथा न ही अपीलार्थीया ने रेस्पोडेण्ड संख्या 1 व 2 द्वारा पेश जवाब में वर्णित तथ्यों के विरूद्ध या उक्त ईकरारनामा में लिखी ईबारत के खण्डन में कोई शपथ–पत्र या साक्ष्य सबूत पेश किया है।

इस प्रकार उपरोक्त विवेचनानुसार अपीलार्थीया को अपनी माता लंवंगा की मृत्यु की जानकारी दिनांक 18.10.2000 को होना भली–भांति साबित होने के बावजूद अपीलार्थीया ने उक्त अपील नामान्तरकरण दिनांक 17.05.2001 को स्वीकृत होने के करीबन 16 वर्ष की लम्बी अवधि की देरीना पेश की गई होने से अपीलार्थीया द्वारा पेश अपील स्पष्टतयाः म्याद बाहर होने से अपीलार्थीया की अपील खारिज योग्य है।

–:: आदेश ::–

उपर्युक्त विवेचनानुसार अपीलार्थीया तगुदेवी द्वारा पेश उक्त नामान्तरकरण अपील स्पष्टतया म्याद बाहर होने से खारिज नामान्तरकरण अपील स्पष्टतया म्याद बाहर होने से खारिज की जाती है। पक्षकारान् अपना–अपना खर्चा वहन करें। पत्रावली इसी कदर फैसल शुमार होकर नंबर से एक कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

(प्रमोद कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
सांचौर (जालोर)

निर्णय आज दिनांक 30.01.2026 को मेरे द्वारा सरे इजलाज सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
सांचौर (जालोर)

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सांचौर
सत्यमेव जयते
जिला जालोर